स्वच्छता

संख्याः 3827/33-3-99-227/99

प्रेषक,

डा0 योगेन्द्र नारायण,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिला अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
2. समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

पंचायतीराज अनुभाग-3,

लखनऊः दिनांकः 21 फरवरी, 2000

विषयः रिस्ट्रक्चर्ड रोन्ट्रली स्पॉन्शर्ड रूरल रोगीटेशन प्रोग्राम की मार्ग दर्शिका का प्रेषण।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुभूत आवश्यकता के सृजन , समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने,परिव्यय आधारित कार्यक्रम के स्थान पर मांग आधारित कार्यक्रम चलाये जाने और नवी पंचवर्षीय योजना की अवधि मे कार्यक्रम के अन्तर्गत 50% आच्छादन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की पुर्ननिर्गित मार्ग दर्शिका निर्गत की गयी है कि परिवर्धित कार्यक्रम में आई0ई0सी0 गतिविधियों, अत्यधिक जन-जाग्रति, वैकल्पिक वितरण प्रणाली द्वारा मांग की पूर्ति और लाभार्थियों की अत्यधिक सहभागिता पर विशेष बल दिया गया है। इस वित्तीय वर्ष से सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टी0 एस0 सी0) का प्रारम्भ किया जा रहा है। परिव्यय आधारित स्वच्छता कार्यक्रम नवी पंचवर्षीय योजना अवधि में समाप्त हो जायेगा। पुर्ननिर्मित कार्यक्रम में लाभार्थी की क्षमता और भोगोलिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कम लागत के शौचालयों पर ही गरीबी की रेखा के परिवारों को योजनान्तर्गत अनुदान उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है और उच्च लागत के शौचालयों पर कोई अनुदान उपलब्ध नही कराया जाना है। परिवर्धित कार्यक्रम में मुख्य बल, कार्यक्रम के प्रति जनचेतना जागृत करने और अनुभूत आवश्यकता के सृजन पर दिया गया है जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र के अधिकाधिक परिवार अपने संसाधनों से योजना को अंगीकार करने के लिए आगे आ सकें।

भारत सरकार से प्राप्त पुर्ननिर्मित मार्ग दर्शिका एवं कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में कार्यक्रम के आच्छादन का स्तर, विगत अनुभव एवं 73 वें संविधान संशोधन

.....2.

के अनुक्रम में यथा संशोधित संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम की धारा-15 (तेइस)(क) में पंचायतों को सौप गये ग्रामीण स्वच्छता कार्य तथा जन-सहभागिता एवं विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत सरकार द्वारा पंचायतों को सौंपे गये व्यापक अधिकारों पर सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्व में निर्गत मार्ग दर्शिकाओं को अतिक्रमित करते हुए योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निम्नलिखित मार्ग निर्देश निर्गत करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उद्देश्य:

रिस्ट्रक्चर्ड सेन्ट्रली स्पान्सर्ड रूरल सेनीटेशन प्रोग्राम (आर0सी0आर0एस0पी0) का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों मे जीवन की गुणवत्ता में सामान्य सुधार लाना है। नीतिगत परिवर्तन के द्वारा निम्नलिखित उपलब्धियाँ प्राप्त होंगी:-

(1.1) ग्रामीण स्वच्छता के अन्तर्गत आच्छादन में वृद्धि (नयी योजना अवधि में 50% तक)

(1.2) जन-जाग्रति और स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा अनुभूत आवश्यकता (फेल्टनीड) का सृजन।

(1.3) ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों को स्वच्छता सुविधाओं से आच्छादित किया जाना।

(1.4) कम लागत के प्रभावी एवं समुचित शौचालय निर्माण की तकनीक का प्रोत्साहन।

(1.5) अस्वच्छता सम्बन्धी बीमारियों के कारण कार्य स्थल अनुपस्थिति में कमी आना।

(1.6) प्रदूषित पानी और अस्वच्छता के कारण होने वाली बीमारियों में कमी लाना।

2. रणनीति:

कार्यक्रम का क्रियान्वयन समुदाय की जन-सहभागिता और समुदाय केन्द्रित होगा और मांग आधारित रणनीति अपनायी जायेगी। जिसमें जन-जागरण और वैकल्पिक वितरण प्रणाली पर विशेष बल दिया जायेगा। व्यक्तिगत शौचालयों पर अनुदान में उत्तरोत्तर कमी करते हुए उसे समाप्त कर दिया

.....3

जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों मे स्वच्छता और व्यापक ग्राह्यता हेतु ग्रामीण स्कूल स्वच्छता एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में अपनाया जायेगा। कार्यक्रम के कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु निम्न प्रकार हैं:-

(2.1) उच्च अनुदान से न्यून अनुदान की तरफ पहल।

(2.2) मांग आधारित प्रक्रिया।

(2.3) लाभार्थियों को वरीयता और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप तकनीक में सुधार।

(2.4) जनपद स्तर तथा ब्लाक स्तर पर अवस्थापकीय सुविधाओं यथा-उत्पादन केन्द्र/ ग्रामीण स्वच्छता सेवा केन्द्रों की स्थापना।

(2.5) सघन प्रचार-प्रसार पर अत्यधिक बल।

(2.6) स्कूल स्वच्छता पर बल।

(2.7) शौचालयों, उत्पादन केन्द्रों/स्वच्छता सेवा केन्द्रों की स्थापना के लिए वित्तीय संस्थाओं से संसाधन उपलब्ध कराया जाना।

(2.8) भारत सरकार और राज्य सरकार की ग्राम विकास योजनाओं यथा-आई0सी0डी0सी0एस0, इन्दिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना के साथ डबटेल कर पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाना।

(2.9) सहकारी संस्थाओं, महिला समूहों (इवाकरा तथा आर0 एम0 के आदि) और स्वयं सहायता समूहों को कार्यक्रम से जोड़ा जाना।

वर्ष 1986-87 से पंचायत राज विभाग द्वारा ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम से समस्त घटकों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। केन्द्रीय संशोधित मार्ग दर्शिका के अनुरूप पंचायत राज विभाग द्वारा यथावत नोडल एजेन्सी के दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा। मार्ग दर्शिका के अनुसार समुदाय आधारित पेयजल और स्वच्छता कार्यक्रम को संस्थगित करने हेतु राज्य एवं जनपद स्तर पर पेयजल और स्वच्छता मिशन गठित किये जायेंगे। यह मिशन सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के क्रियान्वयन के साथ ही साथ सुधार के उपायों के क्रियान्वयन यथा अधिक सामुदायिक सहभागिता, मांग आधारित प्रणाली और कार्यक्रम से लाभान्वित समूह के मध्य लागत की हिस्सेदारी आदि के लिए उत्तरदायी होगा।

.....4.

3. सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टी0 एस0 सी0)

(3.1) प्रस्तावना:-

टीकाकरण और साक्षरता मिशन में अभियान पद्धति की भांति राज्य के चयनित जनपदों में राज्य सरकार और भारत सरकार की सहायता से सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टी0एस0सी0) का क्रियान्वयन किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा चयनित जनपदों के लिए टी0एस0सी0 प्रोजेक्ट तैयार कर भारत सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की जायेगी।

(3.2) टी0एस0सी0 जनपदों का चयन:

कार्यक्रम के क्रियान्वयन के प्रथम वर्ष के लिए ए0आर0डब्लू0एस0पी0 के अन्तर्गत चयनित पायलेट जनपद ही टी0एस0सी0 जनपद होगे। आगामी वर्षो के लिए जनपदों का चयन स्वच्छता के आच्छादन तथा साक्षरता के स्तर के आधार पर राज्य स्तरीय मिशन की कार्यकारी समिति द्वारा किया जायेगा और इसे भारत सरकार से सहायता प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

4. नोडल एजेन्सी:

पूर्व की भांति कार्यक्रम के संचालन, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु पंचायती राज विभाग नोडल एजेन्सी होगा।

5. राज्य पेयजल और स्वच्छता मिशन:

राज्य स्तर पर एक राज्य स्तरीय पेयजल और स्वच्छता मिशन गठित किया जाता है। यह मिशन पंचायती राज विभाग के संरक्षण में एक पंजीकृत सोसाइटी होगी तथा मिशन में निम्नलिखित समितियाँ होंगी:-

(5-1)(6) शीर्ष समिति:

इस समिति के अध्यक्ष, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन होगे और इसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे तथा सचिव, पंचायती राज इस समिति के नोडल सचिव एवं संयोजक होंगे और यह समिति वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगी:-

क्र0स0	पद नाम	अन्य विवरण
1.	कृषि उत्पादन आयुक्त एवम् अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।	उपाध्यक्ष

2.	सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0 प्र0 शासन।	नोडल सचिव/संयोजक
3.	प्रमुख सचिव, वित्त, उ0 प्र0 शासन	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
5.	सचिव, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 शासन	सदस्य
6.	सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0 प्र0 शासन	सदस्य
7.	सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0 प्र0 शासन।	सदस्य

(5.2) कार्यकारी समिति:

निदेशक, पंचायती राज उत्तर प्रदेश इस समिति के पदेन अध्यक्ष तथा इसके कार्यकारी अधिकारी होंगे। इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

क्रम0	पद नाम	अन्य विवरण
1.	प्रबन्ध निदेशक, जल निगम, उ0 प्र0	पदेन सदस्य
2.	अपर आयुक्त (कार्यक्रम) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0	पदेन सदस्य
3.	अतिरिक्त महानिदेशक, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, उ0 प्र0।	पदेन सदस्य
4.	अपर निदेशक, बेसिक शिक्षा, उ0 प्र0	पदेन सदस्य
5.	अपर निदेशक, समाज कल्याण, उ0 प्र0	पदेन सदस्य
6.	संयुक्त निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क, उ0 प्र0	पदेन सदस्य
7.	उपनिदेशक पंचायत/प्रभारी अधिकारी कार्य0 पंचायती राज निदेशालय, उ0 प्र0	सदस्य सचिव
8.	कार्यकारी निदेशक, सुलभ इन्टरनेशनल	सदस्य
9.	निदेशक, मानव संसाधन उ0 प्र0	सदस्य
10.	परामर्शदाता, आई0ई0सी0	सदस्य
11.	अध्यक्ष द्वारा नामित मीडिया विशेषज्ञ	सदस्य
12.	अध्यक्ष द्वारा नामित एम0आई0एस0 विशेषज्ञ	सदस्य

.....6

क्र0सं0	पद नाम	अन्य विवरण
13.	निदेशक, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
14.	निदेशक, आई0 ई0 आर0 टी0 इलाहाबाद द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
15.	निदेशक, कपार्ट द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य

राज्य में स्थापित मानव प्रकोष्ठ, आई0ई0सी0 प्रकोष्ठ और एम0आई0एस0 राज्य पेयजल और स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत कार्य करेगा।

6. जनपद पेयजल और स्वच्छता मिशन:

यह मिशन राज्य पेयजल और स्वच्छता मिशन से सम्बद्ध होगा, इसके निम्नलिखित अंग होगे:-

(1) गवर्निंग बाडी:

जिला पंचायत अध्यक्ष गवर्निंग बाडी के अध्यक्ष होंगे। गवर्निंग बाड़ी वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक करेगी तथा इसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

क्र0सं0	पद नाम	अन्य विवरण
1.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत मुख्य विकासअधिकारी	सदस्य सचिव
2.	जनपद के समस्त सांसद	सदस्य
3.	जनपद के समस्त विधायक	सदस्य
4.	जनपद के समस्त विधान परिषद सदस्य	सदस्य
5.	जिला पंचायत राज अधिकारी	संयोजक
6.	जिला पंचायत की स्थायी समितियों के समस्त अध्यक्ष	सदस्य
7.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
8.	मुख्य चिकित्साअधिकारी	सदस्य
9.	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य

.....7

10.	अधिशासी अभियन्ता, जल निगम	सदस्य
11.	जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास परियोजना	सदस्य
12.	जिला सूचना अधिकारी	सदस्य
13.	परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण	सदस्य

(6.1) जनपद पेयजल और स्वच्छता समिति:-

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत/मुख्य विकास अधिकारी इस समिति के अध्यक्ष होंगे और जिला पंचायत राज अधिकारी समिति के सदस्य सचिव और आहरण वितरण अधिकारी होंगे। कार्यक्रम का जनपद में क्रियान्वयन मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पर्यवेक्षण में जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा उत्पादन केन्द्रों और ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराया जायेगा। सदस्य सचिव द्वारा प्रशासनिक सहायता हेतु उपलब्ध अवस्थापकीय सुविधाओं का उपभोग किया जायेगा तथा इसके लिए किसी अतिरिक्त पद का सृजन नही किया जायेगा। इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

क्र0सं0	पदनाम	अन्य विवरण
1.	अधिशासी अभियन्ता, जल निगम	सदस्य
2.	अभियन्ता, जिला पंचायत	सदस्य
3.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
4.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
5.	परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण	सदस्य
6.	जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य सचिव
7.	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
8.	जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास परियोजना	सदस्य
9.	जिला सूचना अधिकारी	सदस्य
10.	ग्राम पंचायतों/उत्पादन केन्द्रों के 3 प्रधान/ अध्यक्ष	सदस्य

.....8

7. ग्राम स्तर पर कार्यदायी संस्था:

ग्राम स्तर पर कार्यक्रम का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा, परन्तु प्रस्तर 4.10-3 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार स्थापित ग्रामीण स्वच्छता सेवा केन्द्र/उत्पादन केन्द्र द्वारा ग्राम पंचायत के सदस्यों विशेषतया: महिला सदस्यों, ग्राम पंचायत क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व सक्रिय: स्वैच्छिक संस्था, युवक मंगलदल, यूथ संगठनों, नेहरू युवा संगठन के कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी, भारत स्काउट्स और गाइड्स, एन0सी0सी0 एवं सक्रिय ग्राम वासियों में से स्वयं सेवक/प्रेरक नियुक्त किये जायेंगे। स्वयं सेवक/प्रेरक द्वारा अनुभूत आवश्यकता का सृजन, कार्यक्रम के प्रति जन-चेतना जागृत कराना, लाभार्थियों का प्रारम्भिक चयन, लाभार्थियों से उनका अंशदान जमा कराना एवं शौचालयों व अन्य स्वच्छता सुविधाओं के प्रयोग के लिए प्रेरित करने का कार्य किया जायेगा। प्रस्तर-12.4 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार इन प्रेरकों को अनुमन्य प्रोत्साहन का भुगतान किया जायेगा।

8. पेयजल और स्वच्छता मिशन के कृत्य:

8.1 राज्य स्तर:

(क) शीर्ष समिति:

शीर्ष समिति का कार्य परामर्श, पर्यवेक्षण और प्रोत्साहन करना होगा।

(ख) कार्यकारी समिति:

इस समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे:-

1. पूर्ण स्वच्छता अभियान (टी0एस0सी0) के लिए जनपदों को चिन्हित एवं चयनित करना।

2. जिलाधिकारी/मुख्य कार्यअधिकारी, जिला पंचायत के परामर्श से जनपद स्तरीय पेयजल और स्वच्छता मिशनों की स्थापना सुनिश्चित करना।

3. जनपद स्तर पर पृथक बैंक खाता खुलवाना।

4. टी0एस0सी0 के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु जनपद की कार्ययोजना तैयार कराना।

क्रमश:.....9

5. भारत सरकार की सहायता प्राप्त करने के पूर्व कार्य योजनाओं के सभी पहलुओं का परीक्षण करना।

6. जनपद को सभी प्रकार के आई0ई0सी0, एच0आर0डी0 एवं एम0आई0एस0 की सहायता उपलब्ध कराना।

7. जनपदों में टी0एस0सी0 के क्रियान्वयन का विभिन्न स्तर के लिए तैयार किये गये अनुश्रवण प्रपत्रों के माध्यम से आन्तरिक और बाहरी अनुश्रवण करना तथा अनुभवों/प्रगति का ग्रामवार अभिलेखीकरण।

8. टी0एस0सी0 के अन्तर्गत भौतिक व वित्तीय प्रगति का नियमित विवरण नई दिल्ली स्थित मिशन मुख्यालय को भेजा जाना।

9. कार्यक्रम मे सहायता प्राप्त करने हेतु अन्य विभागों तथा स्वास्थ्य शिक्षा, ग्राम्य विकास, सूचना व जनसम्पर्क तथा वित्तीय संस्थानों से समन्वय सम्पर्क स्थापित करना।

10. अग्रेत्तर वितरण हेतु प्रशिक्षण माड्यूल और संचार सामग्री तैयार करना।

11. केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों की प्रगति का अनुश्रवण।

8.2 जनपद स्तर:

जनपद मिशन के निम्न कृत्य होंगे:-

1. टी0एस0सी0 के वास्तविक क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व।

2. क्रियान्वयन उत्पादन केन्द्र के माध्यम से कराया जायेगा।

3. जनपद स्तरीय मिशन द्वारा जनपद पेयजल और स्वच्छता मिशन खाता के नाम से एक पृथक बैंक खाता खोला जायेगा। सदस्य सचिव इस खाते का आहरण एवं वितरण अधिकारी होगा।

4. उत्पाद केन्द्रों के माध्यम से टी0एस0सी0 की कार्य योजना तैयार कराना और उसका परीक्षण कर अनुमोदन हेतु राज्य मिशन को भेजना।

5. स्कूल स्वच्छता की प्रोन्नति हेतु अभिभावक - शिक्षक संगठन को सक्रिय और गतिशील बनाना।

6. सृजित मांग के आधार पर जनपद और विकास खण्ड स्तर पर उत्पादन केन्द्र की स्थापना की मांग का आंकलन कराना एवं उनकी स्थापना का प्रस्ताव करना।

क्रमश:.....10.

7. उत्पादन केन्द्रों की गतिविधियों का निकट अनुश्रवण करना और केन्द्रों से ग्राम तक सामग्री की निर्बाध आपूर्ति की व्यवस्था कराना।

8. आई0ई0सी0 सामग्री का वितरण कराना और स्वच्छता के प्रति चेतना जाग्रत करने के लिए गीत, नारा, नाटक, चित्रकला व वाद-विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजना कराना।

9. उत्पादन केन्द्रों के तत्वाधान में मानव संसाधन विकास की गतिविधियों का निर्वहन।

10. राज्य स्तरीय मिशन और अन्य जनपद स्तरीय विभागों से समन्वय करना।

11. शासकीय लेखा परीक्षा के अतिरिक्त विधि मान्यता प्राप्त सी0ए0 से लेखों की लेखा परीक्षा कराना।

12. राज्य मिशन को निर्धारित अनुश्रवण प्रपत्रों पर क्रियान्वयन के स्तर का नियमित विवरण भेजा जाना।

9. स्वैच्छिक संस्थाओं की भूमिका:

1. ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्वच्छता कार्यक्रम के प्रति जन चेतना जाग्रत करने और अनुभूत आवश्यकता के सृजन में ग्राम पंचायत की सहायता करना।

2. अनुभूत आवश्यकता के सृजन के पश्चात स्वच्छता के प्रारम्भिक स्तर तथा कार्यक्रम के प्रति मांग का आंकलन करने हेतु कराये जाने वाले प्रारम्भिक सर्वेक्षण मे ग्राम पंचायत की सहायता करना।

3. ग्राम पंचायत क्षेत्र के लिए सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान परियोजना की तैयारी में ग्राम पंचायत को सहयोग दिया जाना।

4. ग्राम पंचायत/स्वैच्छिक संस्था द्वारा चयनित स्वयं सेवक/प्रेरक द्वारा कार्यक्रम के प्रति जन-चेतना जागृत करते हुए स्वच्छता सुविधाओं के प्रति मांग में वृद्धि करायी जायेगी और उनकी प्रेरणा स्वरूप ग्राम वासियों द्वारा निर्मित कराये गये शौचालयों, सोख्ता गड्ढा एवं कूड़ा-करकट गड्ढा की उपलब्धि के आधार पर ही इन स्वयं सेवकों/प्रेरकों को पारिश्रमिक का भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा।

5. अनुभूत आवश्यकता और कार्यक्रम के प्रति मांग के आंकलन के आधार पर विकास खण्ड स्तर/जनपद स्तर पर उत्पादन केन्द्रों की स्थापना में स्वच्छता प्रदान करना।

6. स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा स्थापित उत्पादन केन्द्रों/ग्रामीण स्वच्छता सेवा केन्द्रों का संचालन और उनके माध्यम से कार्यक्रम का प्रचार एवं प्रसार कराया जाना एवं उत्पादन केन्द्र से सम्बन्धित ग्राम पंचायतों मे शौचालय निर्माण के लिए कुशल एवं प्रशिक्षित कारीगरों की सेवायें उपलब्ध कराया जाना।

10. वित्त पोषण:

योजनान्तर्गत टी0एस0सी0 के विभिन्न घटकों के लिए कुल परिव्यय का प्रतिशत मात्राकरण और घटकवार भारत सरकार, राज्य सरकार तथा लाभार्थियों / ग्राम पंचायत/ लाभान्वित संस्था के अंशदान का विवरण निम्न प्रकार होगा:-

क्र0सं0	टी0एस0सी0 का घटक	कुल टी0एस0सी0 प्रोजेक्ट लागत में से मात्रावृत्त धन0 (प्रतिशत में)	अंशदान प्रतिशत में		
			केन्द्रांश	राज्यांश	लाभार्थी/ग्रा0प0 लाभान्वित संस्था
1	2	3	4अ	4ब	4स
1.	प्रारम्भिक गतिविधियां (प्रारम्भिक सर्वेक्षण तथा प्रारम्भिक प्रचार-प्रसार आदि)	5%	100	0	0
2.	आई0ई0सी0 (प्रेरण अभियान प्रचार किट,प्रेरक/स्वयं सेवक/टी0एस0सी0 ग्राम को प्रोत्साहन	न्यूनतम 15%	80	20	0
3.	उत्पादन केन्द्र/ग्रामीण स्वच्छता सेवा केन्द्र की स्थापना	5% तक (प्रति केन्द्र 3.5 लाख रूपये की दर से न्यूनतम 35 लाख रूपये प्रति जनपद	80	20	0

क्रमशः....12

1	2	3	4अ	4ब	4स
4.	व्यक्तिगत शौचालयों और महिलाओं के लिए स्वच्छता काम्प्लेक्सों का निर्माण।	60%	60	20	20
5.	स्कूल स्वच्छता (शौचालय निर्माण तथा अन्य सपोर्ट सर्विसेज)	10% तक	60	30	10
6.	प्रशासनिक व्यय(प्रशिक्षण, स्टाफ, सपोर्ट सर्विसेज, एम0एन0ई0 को सम्मिलित करते हुए)	5% तक	80	20	0

11. टी0एस0सी0 के विभिन्न घटकों का संक्षिप्त विवरण:-

11.1 प्रारम्भिक गतिविधियां:

इसके अन्तर्गत राज्य स्तर और जनपदों में राज्य मिशनों की स्थापना सम्मिलित है। आई0ई0सी0 गतिविधियों के उपरान्त प्रारम्भिक सर्वेक्षण बराबर सृजित मांग का आंकलन किया जायेगा और उसके आधार पर भारत सरकार से सहायता प्राप्त करने हेतु जनपद के टी0एस0सी0 प्रोजेक्ट का प्रस्ताव तैयार किया जायेगा। इन गतिविधियों के लिए कुल टी0एस0सी0 प्रोजेक्ट लागत का 5% मात्राकृत होगा जो शत-प्रतिशत भारत सरकार से पोषित होगा।

11.2 आई0ई0सी0 गतिविधियां:

ग्राम पंचायत/स्वैच्छिक संस्था द्वारा चयनित स्वयं सेवकों/प्रेरकों द्वारा पेयजल और स्वच्छता से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं के बारे में जन-चेतना जागृत कर ग्राम वासियों को अपने शौचालय, सोख्ता गड्ढा तथा कूड़ा करकट गड्ढा आदि का निर्माण करने हेतु प्रेरित किया जायेगा। स्वयं सेवक/प्रेरक का आई0ई0सी0 के लिए मात्राकृत धनराशि से प्रोत्साहन धनराशि भी दी

क्रमशः.....13

जायेगी। प्रेरक के प्रयासों से ग्राम वासियों द्वारा वास्तव में निर्माण कराये गये शौचालयों, सोख्ता गढ्ढों तथा कूड़ा-करकट गढ्ढों आदि के निर्माण पर ही प्रेरक को धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। इस प्रयोजन हेतु टी0एस0सी0 प्रोजेक्ट की कुल लागत का कम से कम 15% मात्राकृत होगी जिसमें से भारत सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य क्रमशः 80:20 के अनुपात में वित्त पोषण होगा।

11.3 केन्द्रीय उत्पादन/ग्रामीण स्वच्छता सेवा केन्द्रों की स्थापना:

आई0ई0सी0 गतिविधियों से स्वच्छता सुविधाओं के सृजन हेतु मांग में वृद्धि होगी जिसके पश्चात कराये गये प्रारम्भिक सर्वेक्षण में सुविधाओं की मांग का आंकलन उपलब्ध होगा। मांग के अनुरूप स्वच्छता सामग्रियों यथा स्क्वैटिंग स्लैब्स/फ्लेट्स, वाटरशील पेन्स, पाइप आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इन सामग्रियों के उत्पादन हेतु सृजित मांग की मात्रा और मांग के भौगोलिक घनत्व को दृष्टिगत रखते हुए विकास खण्ड स्तर / जनपद स्तर पर केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों/ग्रामीण स्वच्छता सेवा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। इन केन्द्रों की स्थापना सम्बन्धित संयुक्त पंचायत उद्योग समिति/ग्राम पंचायत अथवा क्षेत्र में कार्यरत ख्याति प्राप्त और सक्रिय स्वैच्छिक संस्थाओं में से किया जायेगा। इस प्रयोजन हेतु कुल टी0एस0सी0 प्रोजेक्ट लागत का 5% अधिकतम 35 लाख रूपये प्रति जनपद की धनराशि मात्राकृत होगी। जिसमें से प्रत्येक केन्द्र हेतु 3.5 लाख रूपये का नेशनल मात्राकरण होगा।

11.4 शौचालयों के निर्माण हेतु प्राविधान:

टी0एस0सी0 प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन चरणों में होगा, जिसमें लाभार्थी की अनुभूत आवश्यकता की संतुष्टि को प्राथमिकता दी जायेगी। जिसमें लाभार्थी की आवश्यकता और उसकी आर्थिक क्षमता के आधार पर उसे विभिन्न शौचालयों के माडल में से अपने लिये उपयुक्त माडल चुनने का विकल्प दिया जायेगा। परन्तु अनुदान की धनराशि कम लागत वाले एवं स्थायी प्रवृत्ति के शौचालयों पर ही उपलब्ध करायी जायेगी। इस कार्यक्रम के

क्रमशः.....14

के प्रयोजन के लिए एक पूर्ण व्यक्तिगत शौचालय में सुपर स्ट्रक्चर रहित बेसिक लो कास्ट यूनिट (बी0 एल0 सी0 यू0) का निर्माण कराया जायेगा। (सुपर स्ट्रक्चर की लागत का वहन लाभार्थी द्वारा किया जायेगा) यद्यपि भारत सरकार से प्राप्त विभिन्न तकनीकी विकल्पों में सबसे साधारण और कम लागत वाले (बी0एल0सी0यू0) के औसत लागत रूपये 625/ और 1000/ के मध्य से परन्तु सबसे कम लागत वाले शौचालय सेट अर्थात 625/ के शौचालय सेटों पर ही अधिकतम अनुदान की धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी और अधिक लागत वाले शौचालय सेटों (अर्थात 625/ से 1000/- रूपये के मध्य पर अपेक्षाकृत कम अनुदान की धनराशि अनुगन्य होगी। बी0एल0सी0यू0 पर अनुदान के लिए वित्त पोषण की निम्नलिखित व्यवस्था होगी:-

क्र0सं0	बी0एल0सी0यू0 लागत	कुल लागत में से प्रतिशत अंशदान		
		भारत सरकार	राज्य सरकार	लाभार्थी अंशदान
1	2	3	4	5
1.	625/ रूपये तक	60% तक	20%	20%
2.	625/ से 1000/ तक	30%	30%	40%
3.	1000/ रू0 से अधिक	-	-	-

625/ रूपये की लागत वाले उपर्युक्त यूनिटों पर 80% अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा जिसमें से भारत सरकार द्वारा 60 प्रतिशत व राज्य सरकार द्वारा 20 प्रतिशत व्यय वहन किया जायेगा तथा अनुदान की कुल धनराशि 500.00 रूपये से अधिक नहीं होगी अर्थात भारत सरकार और राज्य सरकार का अंशदान क्रमशः 375.00 तथा 125.00 रूपये होगा। लाभार्थी द्वारा न्यूनतम 20% अर्थात 125/ अपने अंशदान के रूप में उपलब्ध कराये जायेगे।

625/ रूपये से 1000/ रूपये की लागत वाले उपर्युक्त तीनों यूनिटों में अनुदान की धनराशि 60% तक होगी जो भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 30%-30% तक वहन की जायेगी, परन्तु अनुदान

की अधिकतम धनराशि केन्द्रांश और राज्यांश को सम्मिलित करते हुए रु0 500/- होगी। लाभार्थी द्वारा न्यूनतम 40% अपने अंशदान के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।

1000/- रूपये से अधिक लागत वाले शौचालयों पर कोई अनुदान अनुमन्य न होगा।

12. अनुदान का भुगतान:

अनुदान के भुगतान की निम्न प्रक्रिया होगी:-

12.1 आई0ई0सी0 गतिविधियों के पश्चात प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया जायेगा जो टी0एस0सी0 प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए मूल आधार होगा।

12.2 लाभार्थियों द्वारा अपने अंशदान के रूप में 3×3 मीटर क्षेत्रफल के विकसित/ऊँचा किए गये कार्य स्थल के आधार पर ही मांग का आंकलन किया जायेगा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पेयजल स्रोत से कार्य स्थल कम से कम तीन मीटर दूर हो। लाभार्थियों की प्रारम्भिक सूची प्रेरक द्वारा इस प्रकार विकसित/ऊँचा किये गये कार्य स्थलों का भौतिक सत्यापन करने के आधार पर ही तैयार की जायेगी। जिस पर लाभार्थी के प्रति हस्ताक्षर होगे और सम्बन्धित वार्ड के ग्राम पंचायत सदस्य द्वारा साक्षी के रूप में प्रमाणित किया जायेगा। यह प्रारम्भिक सूची ग्राम पंचायत को प्रस्तुत की जायेगी। जिसके द्वारा ग्राम सभा की बैठक में लाभार्थी की सूची को अन्तिम रूप दिया जायेगा। यह सूची के आधार पर ही टी0एस0सी0 प्रोजेक्ट प्रस्ताव तैयार किया जायेगा जहाँ पर अधिसंख्य लाभार्थी 3×3 मीटर क्षेत्रफल का स्थान उपलब्ध कराने में सक्षम न हों, वहाँ पर सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराने पर विचार किया जायेगा।

12.3 जनपद के लिए प्रस्तुत टी0एस0सी0 प्रोजेक्ट प्रस्ताव की स्वीकृति हो जाने के उपरान्त उत्पादन केन्द्रों /ग्रामीण स्वच्छता केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। उत्पादन केन्द्रों/ग्रामीण स्वच्छता केन्द्र -

क्रमशः....16

हो जाने
केन्द्रों की स्थापना / ओर उनमें जिला वाटसन समिति द्वारा अनुमोदित दरों पर उत्पादन प्रारम्भ हो जाने के उपरान्त लाभार्थियों की सूची शौचालय सेटों की आपूर्ति हेतु क्षेत्र के सम्बन्धित उत्पादन केन्द्र/ग्रामीण स्वच्छता सेवा केन्द्र पर भेजी जायेगी। शौचालय सेटों अर्थात स्क्वेटिंग, स्लैब, पेन, ट्रैप एवं पाइप आदि के लिए भुगतान जिला मिशन द्वारा सीधे उत्पादन केन्द्र/ग्रामीण स्वच्छता सेवा केन्द्र को किया जायेगा और अन्य निर्माण सामग्री यथा-ईंटा, सीमेन्ट आदि तथा श्रमांश की धनराशि मिशन द्वारा ग्राम पंचायत को उपलब्ध करायी जायेगी। केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराये गये कुशल कारीगर द्वारा ग्राम पंचायत की ओर से लाभार्थी से उसके अंशदान की धनराशि प्राप्त की जायेगी। प्रेरक द्वारा निर्माण कार्य में यथावेश्यक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। ग्राम पंचायत की निर्माण समिति द्वारा समय-समय पर निर्माण कार्य की प्रगति और गुणवत्ता का निरीक्षण व सत्यापन किया जायेगा। शौचालय का निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त ग्राम पंचायत की निर्माण समिति द्वारा कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जोयगा और इसके उपरान्त ही ग्राम पंचायत द्वारा कारीगरों व श्रमिकों को अन्तिम भुगतान किया जायेगा।

12.4 कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र जिसमें सोख्ता गड्ढा की कार्यपूर्ति भी सम्मिलित होगी, के आधार पर ही जनपद मिशन द्वारा प्रेरकों को दी जाने वाली प्रोत्साहन की धनराशि सम्बन्धित ग्राम पंचायत को अवमुक्त की जायेगी। शौचालयों का प्रयोग सुनिश्चित कराने के उपरान्त ही ग्राम पंचायत द्वारा प्रेरक को मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

12.5 सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा टी0एस0सी0 विलेज में कार्य और गतिविधियाँ निर्धारित समय के अन्दर पूर्ण किये जाने पर सम्बन्धित को पुरस्कृत किया जायेगा। पुरस्कार की धनराशि जनपद स्तरीय मिशन द्वारा निश्चित की जायेगी और ग्राम पंचायत को पुरस्कार धन या समान सामग्री के रूप में दी जायेगी।

क्रमशः....17

13. डिजाइन और अनुमानित लागत:

विस्तृत डिजाइन और अनुमानित लागत संलग्न-। के अनुसार होगा।

14. स्कूल स्वच्छता [शौचालय निर्माण और सहायता सुविधायें]

बच्चों में नये विचारों को ग्रहण करने की क्षमता कही अधिक होने के कारण स्वच्छता सम्बन्धी आदतों में परिवर्तन के लिए प्रेरित करने और शिक्षित करने के कार्य में विद्यालयों की विशेष भूमिका है। इस प्रयोजन हेतु स्कूल स्वच्छता टी0एस0सी0 का एक महत्वपूर्ण अंग होगा जिसके अन्तर्गत विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण कराया जायेगा। इन शौचालयों की इकाई लागत 20,000/- रूपये होगी। शौचालय की डिजाइन और अनुमानित लागत संलग्न-2 के अनुसार होगा। भारत सरकार तथा राज्य सरकार का अंशदान क्रमशः 60% और 30% होगा, अवशेष 10% लाभार्थियों ग्राम पंचायत द्वारा वहन किया जायेगा।

जनपद के लिए टी0एस0सी0 प्रोजेक्ट बनाते समय जवाहर रोजगार योजना, डी0पी0ई0पी0 एवं दशम वित्त आयोग की धनराशि डवेटेल की जायेगी। शौचालयों का निर्माण सम्बन्धित विद्यालय से शिक्षक अभिभावक संघ की देखरेख में सम्बन्धित उत्पादन/ग्राम स्वच्छता केन्द्र द्वारा कराया जायेगा और इसका तकनीकी पर्यवेक्षण सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी [प्राविधिक] द्वारा किया जायेगा। इसके लिए धनराशि सीधे मिशन द्वारा उत्पादन केन्द्र को उपलब्ध करायी जायेगी।

15. परिव्यय आधारित स्वच्छता कार्यक्रम:

15.1 प्रस्तावना:

टी0एस0सी0 के अन्तर्गत नयी दृष्टि के लिए पृष्ठ भूमि की तैयारी हेतु समुचित समय देने के उद्देश्य से वर्तमान में प्रचलित परिव्यय आधारित स्वच्छता कार्यक्रम भी जारी रहेगा और चरणबद्ध ढंग से समाप्त होगा। नयी योजना अवधि के तृतीय वर्ष के लिए 50% धनराशि वर्तमान कार्यक्रम के लिए मात्राकृत होगी तथा चतुर्थ और पंचम वर्ष के लिए क्रमशः मात्र 30% और 10% धनराशि मुख्यतया लम्बित वचनबद्ध व्यय के लिए स्वीकार की जायेगी।

15.2 कार्यक्रम के घटक:

कार्यक्रम के निम्नलिखित घटक होंगे:-

- जहाँ कही भी मांग हो वहाँ पर गरीबी की रेखा के नीचे के परिवारों के लिए 80% शासकीय अनुदान से व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण।

- जिन ग्रामों में घरों के परिसर में शौचालय निर्माण हेतु उपर्युक्त स्थल एवं स्थान (स्पेश) उपलब्ध न हो और जहाँ ग्राम पंचायत रखरखाव के लिए तैयार हो वहाँ पर महिलाओं के लिए ग्रामीण स्वच्छता काम्प्लेक्सों का निर्माण।

- स्वच्छता सेवा केन्द्रों और उत्पादन केन्द्रों की स्थापना।

- स्कूलों में शौचालयों का निर्माण।

- नालियों, सोख्ता गढ्ढों, कूड़ा करकट गढ्ढों आदि का निर्माण कर सम्पूर्ण स्वच्छता ग्रामों को विकसित किया जाना।

- व्यक्तिगत शौचालय और पर्यावरणीय स्वच्छता सुविधाओं के लिए अनुभूत आवश्यकता के सृजन हेतु सघन जागरूकता, स्वच्छता और स्वास्थ्य शिक्षा अभियान।

16. प्रत्येक घटक का संक्षिप्त विवरण

16.1 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण:

टी0एस0सी0 के अन्तर्गत प्राविधानित अनुदान पद्धति का अनुपालन किया जायेगा। शौचालय की डिजाइन और आगणन के विवरण परिशिष्ट-I के अनुसार होंगे।

16.2 शुष्क शौचालयों का परिवर्तन:

शुष्क शौचालयों के परिवर्तन के लिए नवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम वर्ष के लिए राज्य सरकार द्वारा कुछ धनराशि का प्राविधान किया जायेगा। प्राविधिनित धनराशि में से अप्रयुक्त धनराशि कार्यक्रम के लिए सामान्य संसाधन मे सम्मिलित कर ली जायेगी।

क्रमशः.....19

16.3 महिलाओं के लिए ग्रामीण स्वच्छता काम्प्लेक्सों का निर्माण:

जहाँ पर व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण संभव न हो तथा ग्राम पंचायत काम्प्लेक्स के रखरखाव के लिए इच्छुक हो वहाँ पर पायलेट बेसिस पर मात्र महिलाओं के लिए ग्राम स्वच्छता काम्प्लेक्स का निर्माण कराया जायेगा तथा इस प्रयोजन हेतु वार्षिक परिव्यय का 10% तक प्रयोग किया जायेगा।

16.4 ग्रामीण स्वच्छता सेवा केन्द्रों/उत्पादन केन्द्रों की स्थापना:

कुल परिव्यय का 5% इस प्रयोजन हेतु व्यय किया जायेगा जिसके अन्तर्गत ग्रामीण स्वच्छता सेवा केन्द्र/उत्पादन केन्द्र की स्थापना हेतु प्रति इकाई रू0 3.5 लाख अधिकतम 35.00 लाख रूपये प्रति जनपद की दर से प्राविधान किया जायेगा। इन केन्द्रों की स्थापना और उनके संचालन आदि के सम्बन्ध में टी0एस0सी0 के अन्तर्गत दिये गये निर्देश प्रभावी होंगे।

16.5 सम्पूर्ण स्वच्छता ग्राम:

अन्य स्वच्छता सुविधाओं यथा जल निकासी की नालियाँ, सोख्ता गड्ढों, कूड़ा करकट गड्ढों आदि का निर्माण जवाहर रोजगार योजना अथवा पंचायतों मे नागरिक सुविधाओं के सृजन के लिए चलाये जा रहे अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत कराया जायेगा। परन्तु जहाँ पर अन्य प्राथमिकताओं और यथेष्ट वित्तीय संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण इन सुविधाओं का निर्माण उपरोक्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत संभव न हो वहाँ पर उन सुविधाओं का निर्माण परिव्यय आधारित स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जायेगा जिन ग्रामों में गरीबी की रेखा के नीचे के परिवारों में 50% स्वच्छता आच्छादन कर लिया जायेगा वहाँ पर सम्पूर्ण स्वच्छता पैकेज कार्यान्वित किया जायेगा जो 50% तक भारत सरकार सहायतित होगा। इसके अन्तर्गत कोई ऐसी परियोजना भारत सरकार द्वारा स्वीकार नही की जायेगी जिसकी कार्य अवधि नवी पंचवर्षीय योजना के बाद की हो। इन सुविधाओं में पशुओं के लिए नाद जिसमें पीने के पानी की सुविधा सहित गोशालाओं की स्वच्छता, ठोस-द्रव्य मलवा के निस्तारण और मक्खियों तथा मच्छरों के मारने की दवा के छिड़काने आदि के कार्य भी सम्मिलित होंगे।

क्रमशः....20.

16.6 अनुभूत आवश्यकता के सृजन के लिए अभियान:

यह कार्यक्रम का अत्यन्त महत्वपूर्ण घटक है। यद्यपि शासकीय तंत्र इस दिशा में कुछ सीमा तक सफल हो सकता है परन्तु सुनियोजित प्रचार तथा प्रसार, स्वास्थ्य शिक्षा और आवश्यक सुविधाओं के सृजन द्वारा ही लोगों की सोंच में परिवर्तन किया जा सकता है। क्षेत्र में कार्यरत ख्याति प्राप्त और सक्रिय स्वयं सेवी संस्थाओं, स्वायत्तशासी संस्थाओं, सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक संगठनों का उपयोग अनुभूत आवश्यकता के सृजन के लिए किया जा सकता है। इन संगठनों का चयन उनके अच्छे कार्य की ख्याति और उनके पास पूर्व से उपलब्ध अवस्थापकीय सुविधाओं के आधार पर किया जायेगा। चयन के लिए स्पष्ट मानक यथा संस्था द्वारा किये गये अच्छे कार्यों की अवधि, अच्छे कार्य का विवरण, उपलब्ध अवस्थापकीय सुविधा तथा भौगोलिक आच्छादन होंगे। इन मानकों के आधार पर ही ग्राम पंचायत द्वारा स्वैच्छिक संस्था/ संगठन का चयन इस प्रयोजन हेतु किया जायेगा । टी0एस0सी0 परियोजना के अन्तर्गत स्वैच्छिक संस्था/स्वयं सेवकों के लिए अनुमन्य प्रोत्साहन की योजना इसके लिए भी अनुमन्य होगी।

17. अनुमन्य अनुदान:

गरीबी की रेखा के नीचे के व्यक्तियों /ग्राम पंचायतों से लिये जाने वाले अंशदान, भारत सरकार तथा राज्य सरकार से अनुमन्य अनुदान निम्न तालिका के अनुसार होगा:-

क्र0सं0	टी0एस0सी0 का घटक	कुल टी0एस0सी0 प्रोजेक्ट लागत में से मात्रानुसार धनराशि (प्रतिशत)	अंशदान (प्रतिशत में)		
			केन्द्रांश	राज्यांश	लाभार्थी/ लाभार्थी संस्था
1	2	3	4अ	4ब	4स
अ-	गरीबी की रेखा के नीचे के परिवारों के लिए शौचालयों का निर्माण और शुष्क शौचालयों का परिवर्तन।	सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टी0एस0सी0) के लिए टेबल संख्या-2 के अनुसार अनुमन्य की भांति।			

क्रमशः.....21.

1	2	3	4अ	4ब	4स
ब-	स्कूल स्वच्छता		60%	30%	10%
स-	महिला विलेज काम्प्लेक्स		40%	40%	20%
द-	गरीबी की रेखा के नीचे के परिवारों के 50% से अधिक आच्छादन वाले ग्रामों में सम्पूर्ण स्वच्छता पैकेज		50%	40%	10%
घ-	जन जागरण अभियान, स्वास्थ्य शिक्षा, तथा मांग सृजन आदि ।		वार्षिक का 15%	परिव्यय तक	शून्य
न-	प्रशासनिक व्यय		वार्षिक का 5%	परिव्यय तक	शून्य
प-	ग्रामीण स्वच्छता सेवा केन्द्र/ उत्पादन केन्द्रों की स्थापना		वार्षिक का 5%	परिव्यय तक	शून्य

18. घटकवार परिव्यय का मात्राकरण:

घटकवार परिव्यय तथा मात्राकरण निम्न प्रकार होगा:-

1.	गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए व्यक्तिगत शौचालयों संस्थागत शौचालयों का निर्माण।	परिव्यय का 60%
2.	स्कूल शौचालय	परिव्यय का 5%
3.	आई0ई0सी0 गतिविधियाँ	15%
4.	प्रशासनिक व्यय	5%
5.	महिला विलेज काम्प्लेक्स का निर्माण	5%
6.	गरीबी/की रेखा के नीचे के परिवारों में 50% से अधिक आच्छादन वाले ग्रामों के लिए सम्पूर्ण स्वच्छता परियोजना के लिए।	5%
7.	वैकल्पिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत ग्रामीण स्वच्छता।	5%

क्रमश:.....22

19. जनपद, विकास खण्ड तथा ग्रामों का चयन:

सघन आच्छादन के लिए जनपद, विकास खण्ड और ग्राम पंचायतों का चयन निम्नलिखित मानक के आधार पर किया जायेगा:-

(क) ऐसे जनपद, विकास खण्ड और ग्राम जहाँ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को सम्मिलित करते हुए कमजोर जाति के व्यक्तियों के लिए ग्रामीण पेयजल सम्पूर्ति के अन्तर्गत आच्छादन पर्याप्त हो और जहाँ पर शौचालयों के निर्माण के लिए मांग हो।

(ख) ऐसे जनपद जहाँ ख्याति प्राप्त स्वैच्छिक संस्थायें सक्रिय रूप से कार्यरत हों।

(ग) ऐसे ग्राम जहाँ पर अस्वच्छ जल और मानव मल से जुड़ी हुई बीमारियाँ अत्यधिक हों तथा महिलाओं के लिए शौचालय की सुविधा उपलब्ध न हो अथवा जहाँ पर शौचालयों के लिए महिलाओं की ओर से मांग अधिक हो।

(घ) अधिकतम आच्छादन (जहा संभव 100%) सुनिश्चित करने के लिए ऐसे ग्रामों जहाँ पर अनुभूत आवश्यकता का पूर्व में सृजन हो चुका हो और जहाँ पर शौचालय निर्माण सम्बन्धी अन्य कार्यक्रम पूर्व से ही चल रहे हों।

समेकित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में प्रतिवर्ष कम से कम एक आदर्श ग्राम विकसित किया जायेगा। जिसमें शौचालयों का निर्माण, शुष्क शौचालयों का परिवर्तन, कूड़ा करकट गड्ढा, जल निकासी की नालियाँ, गलियों में खडण्जा निर्माण, आंगनवाड़ी केन्द्रों, स्कूल, पंचायतघर स्वास्थ्य केन्द्र में स्वच्छ शौचालय, धूम रहित चूल्हा, तालाबों की सफाई, स्ट स्टैण्ड पोस्ट, सार्वजनिक हैण्ड पम्पों तथा कुओं के आस-पास सफाई तथा चबूतरों जिसमें नहाने और कपड़े धोने के चबूतरे तथा नालियाँ सम्मिलित हों का निर्माण कराया जायेगा।

क्रमशः....23

20. लाभार्थियों का चयन:

लाभार्थियों का अन्तिम चयन ग्राम सभा द्वारा किया जायेगा और इस सम्बन्ध में टी0एस0सी0 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया ही अपनायी जायेगी।

21. ग्राम स्तर पर कार्यदायी संस्था और शौचालयों का निर्माण:

ग्राम स्तर पर कार्यदायी संस्था ग्राम पंचायत होगी और शौचालयों एवं अन्य स्वच्छता सुविधाओं का निर्माण ग्राम पंचायत की निर्माण समिति द्वारा कराया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में टी0एस0सी0 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा।

21.1 सेल्फ आफ स्कीम्स:

निर्धारित मानक और डिजाइन के अनुरूप योजनान्तर्गत किये जाने वाले कार्यो के लिए राज्य सरकार द्वारा सेल्प आफ स्कीम्स तैयार की जायेगी। योजना की तैयारी के समय कार्यक्रम के उद्देश्य तथा प्राथमिकताओं और यथा सम्भव पुनरावृत्ति के लिए क्षेत्रोन्मुख शोध एवं विकास अध्ययनों को दृष्टिगत रखा जायेगा। इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय मिशन द्वारा राज्य सरकार को सहायता दी जायेगी।

22. अन्य सम्बन्धित विषय:

22.1 रख-रखाव:

समुदाय विशेषतया परिवार के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है जिससे सुविधाओं का समुचित रखरखाव कर सके। व्यक्तिगत शौचालयों के रखरखाव पर होने वाले व्यय का वहन लाभार्थियों द्वारा किया जायेगा और महिला काम्प्लेक्सों पर होने वाला व्यय स्वैच्छिक संस्था/पंचायत/ चेरीटेबुल ट्रस्ट द्वारा वहन किया जायेगा।

22.2 वार्षिक कार्य योजना:

सेल्फ आफ स्कीम्स और जनपद के लिए स्थानान्तरित परिव्यय तथा जनपद मे वर्ष के प्रारम्भ में उपलब्ध धनराशि को दृष्टिगत रखते हुए जनपद द्वारा एक वार्षिक कार्य योजना प्रत्येक वर्ष माह फरवरी में तैयार की जायेगी। वार्षिक कार्य योजना में प्रत्येक घटक के लिए स्पष्ट

क्रमशः.....24

त्रैमासिक लक्ष्य इंगित किये जायेंगे तथा यह कार्य योजना 31 मार्च तक राज्य मिशन को उपलब्ध करा दी जायेगी।

22.3 कार्यक्रमों में मूल्य वृद्धि अनुमन्य नही है:

कार्यक्रम के क्रियान्वयन में किसी प्रकार का विलम्ब, जिसके कारण लागत में वृद्धि हो वांछनीय नही होगा। इसलिए टी0एस0सी0 और परिव्यय आधारित स्वच्छता कार्यक्रम के मूल्य वृद्धि के फलस्वरूप कोई अतिरिक्त धनराशि अनुमन्य नही होगी।

22.4 निरीक्षण की व्यवस्था:

कार्यक्रम के प्रभावी निरीक्षण हेतु राज्य स्तर, मण्डल स्तर एवं जनपद स्तर के अधिकारियों द्वारा नियमित क्षेत्र निरीक्षण के माध्यम से अनुश्रवण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। निरीक्षण के समय यह देखा जाना एवं सुनिश्चित किया जाना होगा कि निर्माण कार्य मानक एवं विशिष्टियों के अनुसार किया गया है, निर्माण कार्य ग्राम पंचायत द्वारा कराया गया है, शौचालय द्वारा पेयजल स्रोत दूषित नही हो रहे हैं, लाभार्थियों का चयन सही किया गया है एवं निर्मित शौचालयों का समुचित प्रयोग किया जा रहा है । निरीक्षण द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शौचालयों का प्रयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नही किया जा रहा है जैसा कि विगत वर्षो में कुछ अवसरों पर किया गया है। निर्मित शौचालयों का शत-प्रतिशत निरीक्षण व स्थलीय सत्यापन सहायक विकास अधिकारी पंचायत द्वारा 30% खण्ड विकास अधिकारी द्वारा 20% अवर अभियन्ता , ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा 20% सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (तक0) द्वारा 10% जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा एवं प्रत्येक जनपद के कम से कम 5 ग्राम पंचायतों में निर्मित शौचालयों का निरीक्षण व स्थलीय सत्यापन मण्डलीय उपनिदेशक (पंचायत) द्वारा किया जायेगा। पंचायती राज निदेशालय के अधिकारियो द्वारा भी समय-समय पर निरीक्षण व सत्यापन का कार्य किया जायेगा।

क्रमशः....25

22.5 रिपोर्टिंग विधि, मासिक समीक्षा एवं अनुश्रवण:

ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रम की नियमित समीक्षा ग्राम पंचायत की निर्माण समिति द्वारा किया जायेगा तथा उच्च स्तर पर निराकरण वाले विन्दुओं पर सुझाव व संस्तुतियाँ क्षेत्र पंचायत तथा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को उपलब्ध करायी जायेंगी जो इनका परीक्षण कर क्रमशः जिला पंचायत एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजेगे। इसी प्रकार क्षेत्र पंचायत स्तर पर कार्यक्रम की नियमित समीक्षा क्षेत्र पंचायत की निर्माण कार्य समिति द्वारा की जायेगी तथा अपना सुझाव और संस्तुतियाँ जिला पेयजल और स्वच्छता समिति के सचिव जिला पंचायत राज अधिकारी को उपलब्ध करायेगी। कार्यक्रम की मासिक समीक्षा तथा प्रभावी अनुश्रवण जिला पेयजल और स्वच्छता समिति द्वारा की जायेगी।

योजनान्तर्गत मासिक प्रगति विवरण समस्त जनपदों द्वारा संलग्न रूपपत्र संख्या-8 तथा 9 पर एवं टी0एस0सी0 जनपदों द्वारा संलग्न रूपपत्र संख्या-10 तथा 11 पर प्रत्येक माह की 3 तारीख तक सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को प्रस्तुत किया जायेगा जो विकास खण्ड का संकलित प्रगति विवरण खण्ड विकास अधिकारी को प्रस्तुत करेंगें जिसके आधार पर आयोजना का अनुश्रवण विकास खण्ड कार्यालय पर आयोजित बैठकों में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा किया जायेगा। विकास खण्ड का संकलित प्रगति विवरण खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह की 8 तारीख तक जिला पंचायत राज अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा संकलित विवरण माह की 10 तारीख तक निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश तथा अपने मण्डलीय उपनिदेशक (पंचायत) को उपलब्ध कराया जायेगा। राज्य स्तर पर पंचायती राज विभाग की कार्यकारी समिति द्वारा प्रतिमाह कार्यक्रम की नियमित समीक्षा की जायेगी।

क्रमशः...26

22.6 आई0ई0सी0 गतिविधियों के लिए व्यय:

टी0एस0सी0 एवं परिव्यय आधारित स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत आई0ई0सी0 गतिविधियों के लिए मात्राकृत धनराशि योजना के प्रचार-प्रसार, जन-जागरण, अनुभूत आवश्यकताओं का सृजन, लाभार्थियों एवं मिस्त्रियों पंचायत पदाधिकारियों एवं कार्यक्रम के क्रियान्वयन के विभिन्न स्तर पर सम्बन्धित अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर व्यय की जायेगी। इस सम्बन्ध में समय-समय पर आवश्यक निर्देश, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत किये जायेगे।

22.7 प्रशासनिक व्यय:

इस प्रयोजन हेतु कुल परिव्यय का 5% तक कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक स्टाफ, लेखन सामग्री, साज-सज्जा एवं अनुश्रवण हेतु बैठकों का आयोजन और वाहनों के पी0ओ0एल0 एवं अनुरक्षण, दूरभाष/फैक्स तथा अन्य कार्यालय उपकरण आदि पर व्यय की जायेगी। परन्तु शासन से पूर्व अनुमति के बिना योजनान्तर्गत कोई स्टाफ नियुक्त नही किया जायेगा। प्रशासनिक मद में उपलब्ध धनराशि का विभिन्न स्तरों पर वितरण के सम्बन्ध में निर्देश निदेशक पंचायती राज, उत्तर प्रदेश द्वारा पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

22.8 कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र:

निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात ग्राम पंचायत विकास अधिकारी तथा प्रधान के संयुक्त हस्ताक्षर से कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न प्रारूप संख्या 41 पर तैयार कर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को प्रस्तुत किया जायेगा। सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) द्वारा निर्मित कार्यो का शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन का कार्य पूर्ण होने और उसकी गुणवत्ता की जांच कर संलग्न प्रारूप संख्या 41 पर इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जायेगा। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र की 3 प्रतियाँ तैयार की जायेंगी एक प्रति ग्राम पंचायत में एक प्रति क्षेत्र पंचायत कार्यालय में तथा एक प्रति जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध करायी जायेगी।

धनराशि का पूर्ण उपभोग कर लिए जाने के उपरान्त ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, तथा प्रधान के संयुक्त हस्ताक्षरों से संलग्न प्रारूप संख्या-41 पर उपभोग प्रमाण पत्र खण्ड विकास अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा। जिसके आधार पर विकास खण्ड का संकलित उपभोग प्रमाण खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी को और जनपद का संकलित उपभोग प्रमाण पत्र जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश व महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को प्रस्तुत किया जायेगा।

22.9 लेखा परीक्षा:

राज्य स्तरीय एवं जनपद स्तरीय मिशन को उपलब्ध करायी गयी धनराशि की लेखा परीक्षा भारत के महा नियंत्रक, लेखा के निर्देशों के अधीन महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा करायी जायेगी। ग्राम पंचायतों/उत्पादन केन्द्रों एवं ग्रामीण स्वच्छता सेवा केन्द्रों को उपलब्ध करायी गयी धनराशि मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियों व पंचायतों द्वारा संयुक्त जांच पंचायत राज अधिनियम 1947 (यथा संशोधित) के प्राविधानों और इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत निर्देशों के अनुरूप की जायेगी। साथ ही साथ जनपद स्तर पर लेखा परीक्षा चार्टर्ड एकाउन्टेट से भी कराया जायेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार संशोधित प्रक्रिया के अनुरूप वर्ष 1999-2000 के लिए आवंटित धनराशि का उपभोग कराते हुए समय से लक्ष्यों की पूर्ति करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(योगेन्द्र नारायण)
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

क्रमशः....28

संख्याः 3827/I/33-3-99, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

[1] समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत, उत्तर प्रदेश।

[2] स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

[3] स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

[4] प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायती राज, ग्राम्य विकास वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना एवं जनसम्पर्क, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

[5] प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
[6] महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
[7] निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
[8] आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
[9] समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
[10] निदेशक, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश।
[11] समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
[12] समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
[13] समस्त प्रमुख, क्षेत्र पंचायत, उत्तर प्रदेश।
[14] मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उत्तर प्रदेश।
[15] वित्त (व्यय नियन्त्रण), अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4/राज्य योजना आयोग-1/2
[16] संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक, भारत सरकार, ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, पर्यावरण भवन, बी-1, ब्लाक, नवी मंजिल, सी0जी0ओ0 काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003
[17] सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली-110 003

आज्ञा से

(डा0 ओम प्रकाश)
सचिव
पंचायती राज, उ0 प्र0 शासन।

Annexure I

I. Single pit – brick lined

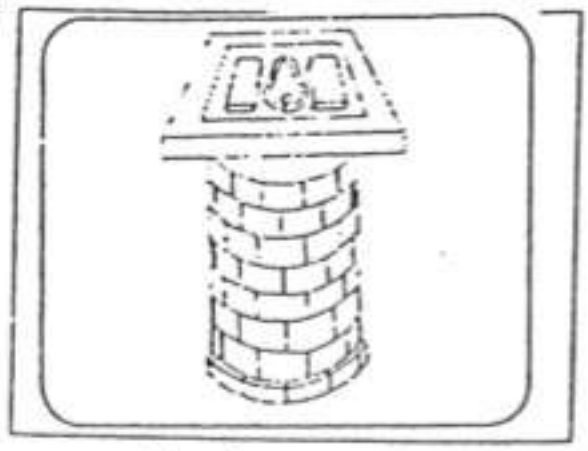

Total cost	=	Rs.625/-
GOI share	=	Rs. 375/- (60%)
State share	=	Rs. 125/- (20%)
Beneficiary share	=	Rs. 125/- (20%)

As per the estimates the cost of construction of a single pit brick lined latrine excluding cost of superstructure, is :

i)	Pit (brick lined)	-	Rs.330/-
ii)	Squatting slab	-	Rs.295/-
			Rs.625/-

II. Single offset pit (brick lined) with provision for 2nd pit

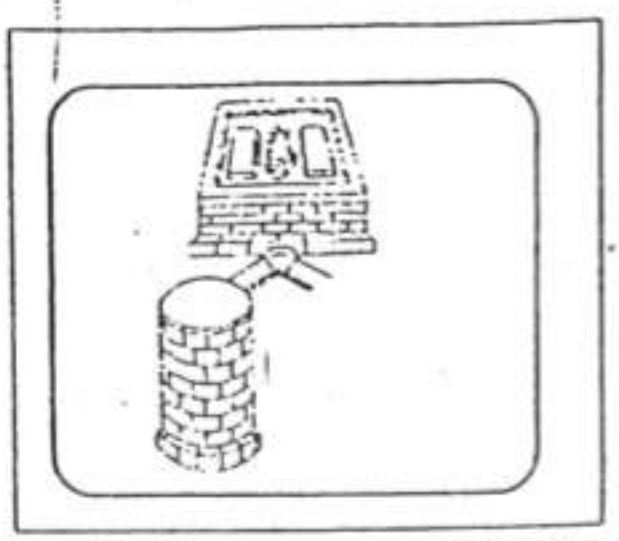

Total cost	=	Rs.1000/-
GOI share	=	Rs.250/-
State Share	=	Rs.250/-
Beneficiary share	=	Rs.500/-

As per the estimates the cost of construction of single offset pit (brick lined) with provision for a 2nd pit latrine excluding cost of superstructure, is :

i) Pit (Brick lined)	-	Rs.330/-
ii) Pit cover	-	Rs.160/-
iii) Squatting platform	-	Rs.360/-
iv) Trap and Pan	-	Rs.150/-
		Rs.1000/-

Annexure II

School Sanitation Project
Bill of Quantities and estimated cost of sanitary Latrine

Sl. No.	Materials/labour	Quantity required	Unit retail Price (Rs) in Guwahati	Item Cost (Rs)	Total cost (Rs)
	MATERIALS				
01.	Brick	1800 pcs	2.10/pc	3.780.00	
02.	Sand	65cft	8.7/cft	565.50	
03.	½ Stone chips	8 cft	24.6 cft	196.80	
04.	Cement	14 bags	195/bag	2.730.00	
05.	M. S. Rod 6 mm	17 kg	17/kg	289.00	
				7.561.30	7561.30
	Breakage, wastage and local price variation between Guwahati and the Blocks. (10% of Cost of items 01-05			756.13	756.13
06.	Mosaic Pan with Trap	1 set	120/set	120.00	
07.	Mosaic foot rest	6pcs	15/pc	90.00	
08.	Door	3pcs	600/pc	1800.00	
09.	25 mm dia Plastic Water pipe	3 m	48.5/m	145.50	
10.	Plastic sheet for casting	12 m	7/m	84.00	
11.	Chicken Mesh for Ferro Cements slabs	10 sqm	15/sqm	150.00	
12.	Black iron wire	0.5kg	14/kg	7.00	
13.	25 mm X 25 mm X 4 mm angle (with cutting & wedding)	10 m	14.8/m	44.00	
14.	Lime	10 kg tin	Rs. 60/tin	60.00	
15.	Lime brush	1 pc	Rs. 10/pc	10.00	
16.	Paint for Door	0.5 lit Primer	Rs. 70/lit	35.00	
		0.5 lit Paint	Rs. 125/lit	62.50	
17.	Paint Brush	1 pc	Rs. 20/pc	20.00	
	Transportation of items 06-17			3028.00	3028.00
	from Guwahati to Block			100.00	100.00
	Local Carriage of all materials fro items 01-17			360.00	360.00
			Total of material & carriage		11.805.43
	LABOUR				
18.	Mason	8 days	80/day	640.00	
19.	Labour	8 days	50/day	400.00	
20.	White washing	3 days	50/day	150.00	
				1190.00	
			Toal for Labour		1.190.00
			Total cost of sanitary Block		12.995.43
			Say		13.000.00

* Estimate prapared in June '98

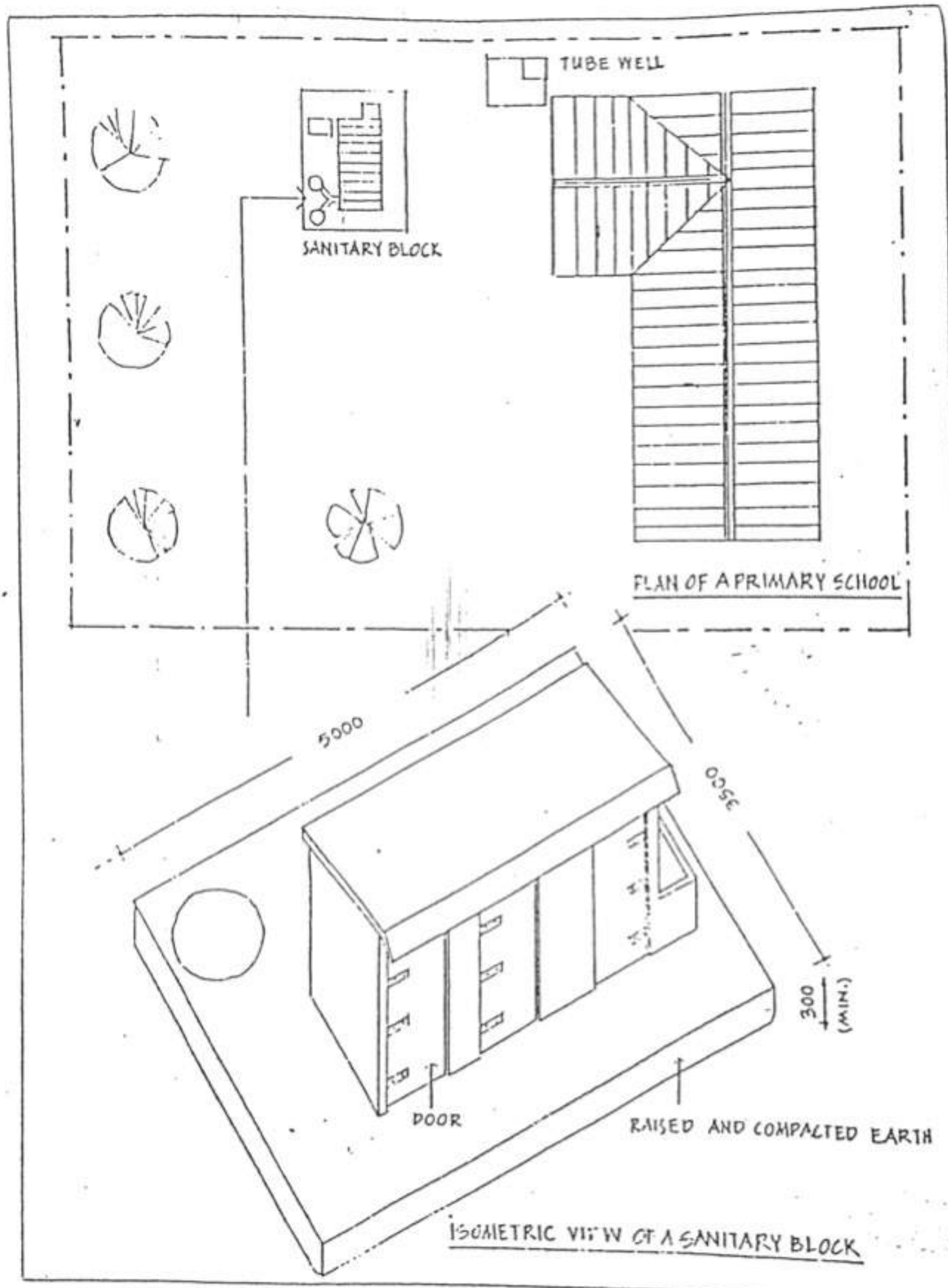
TUBE WELL
SANITARY BLOCK
PLAN OF A PRIMARY SCHOOL
5000
3500
300 (MIN.)
DOOR
RAISED AND COMPACTED EARTH
ISOMETRIC VIEW OF A SANITARY BLOCK

DRAWING NO-1

PIT COVER

R.C.C (1:2:4)
DIAMETER-1.05 METER

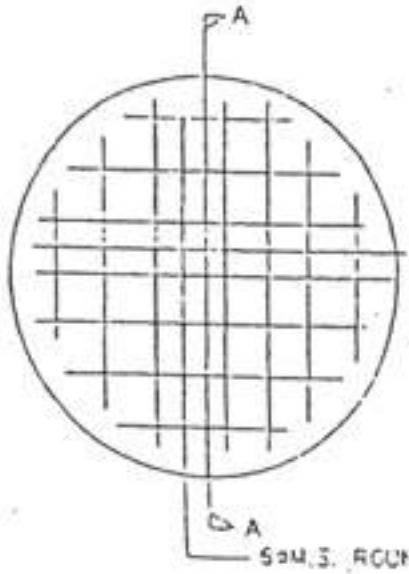

REINFORCEMENT ARRANGEMENT OF PIT COVER

JUNCTION CHAMBER (BRICK WORK)

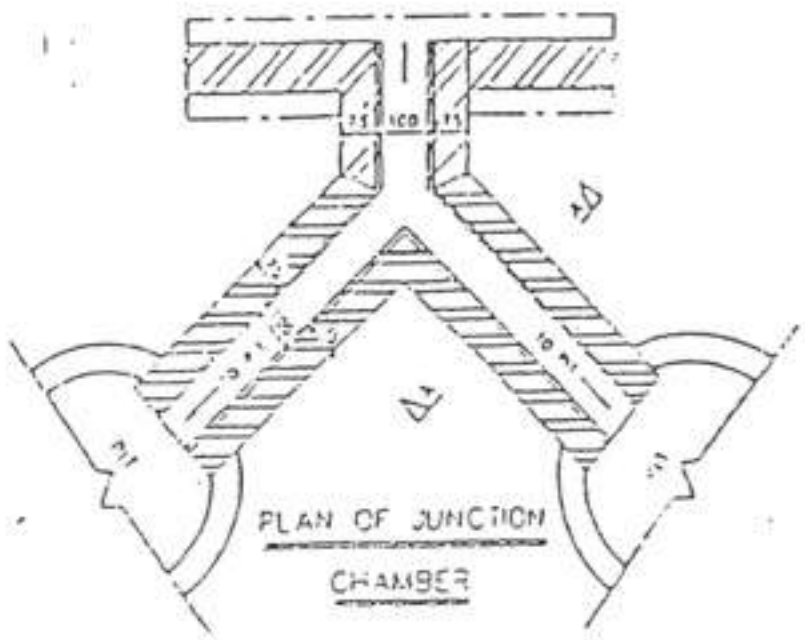

NOTE
1. ALL DIMENSIONS IN MILLIMETRES
2. NOT TO SCALE

THREE DIMENSIONAL VIEW

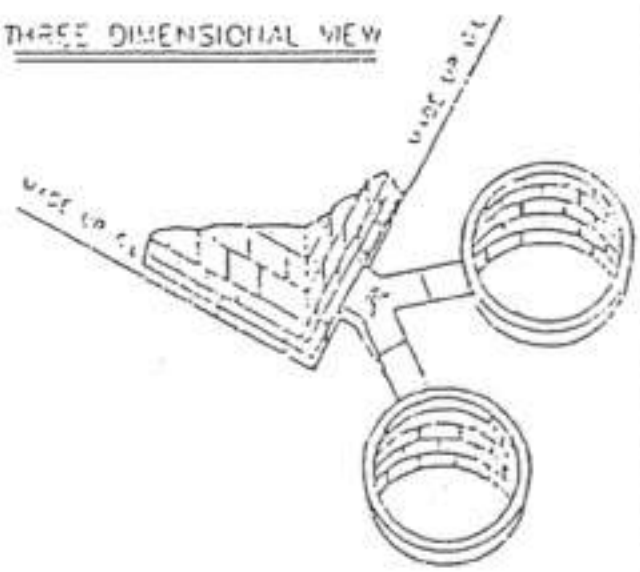

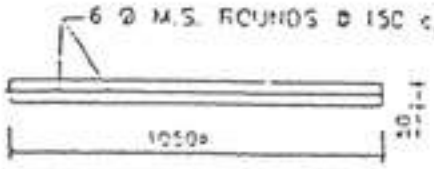

SECTION A-A

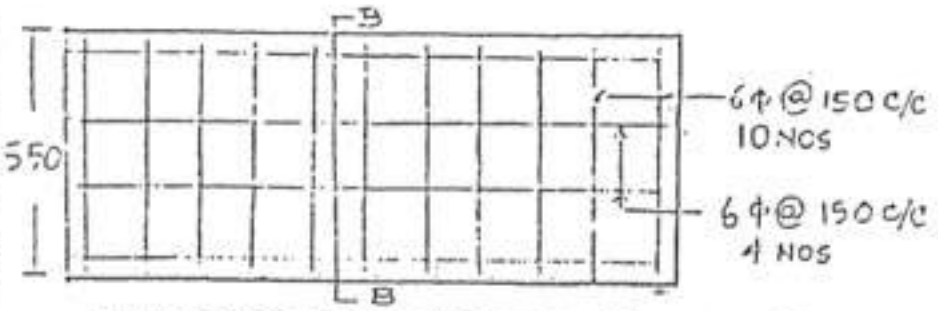

REINFORCEMENT OF WATER TANK COVER

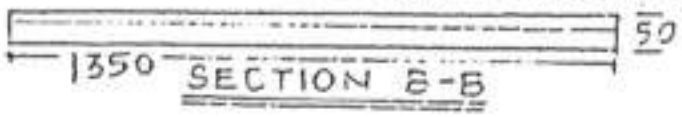

SECTION B-B

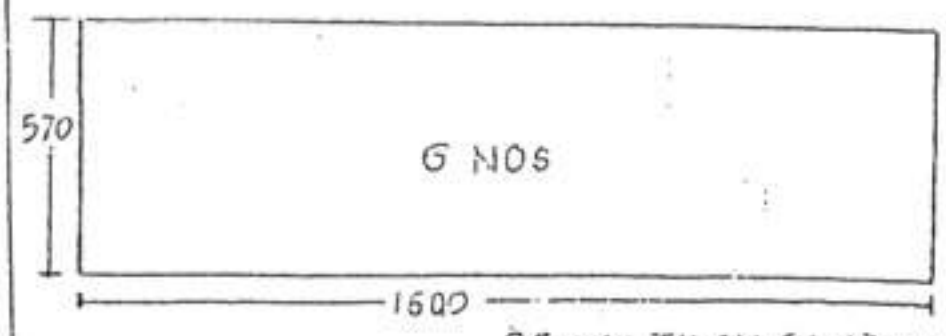

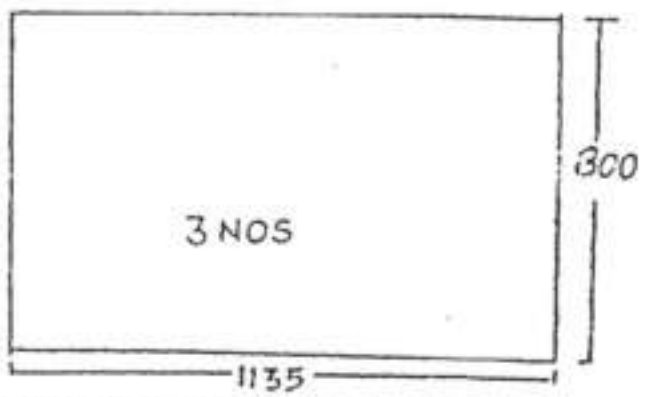

25 mm THICK (1:2) FERRO-CEMENT ROOF SLAB
COMPONENTS OF THE SANITARY BLOCK

DRAWING NO3

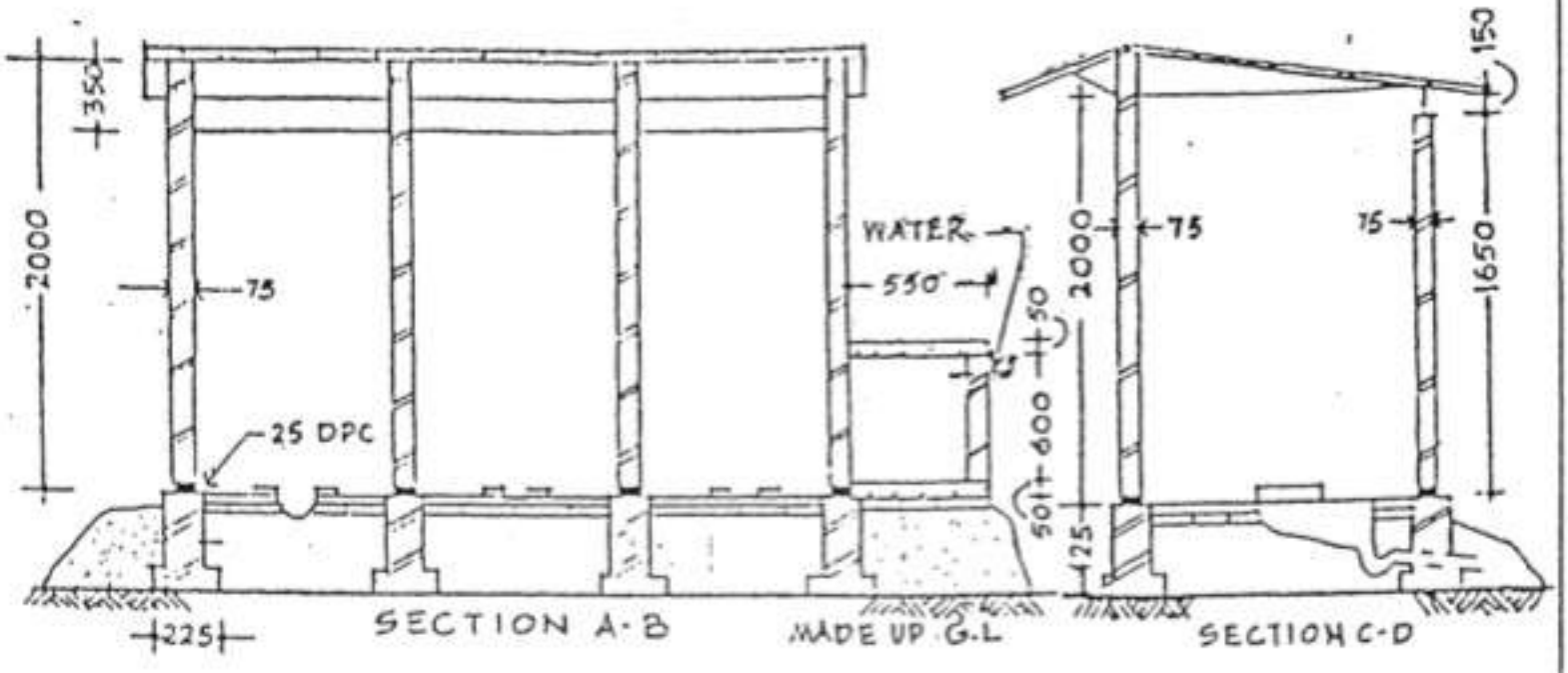

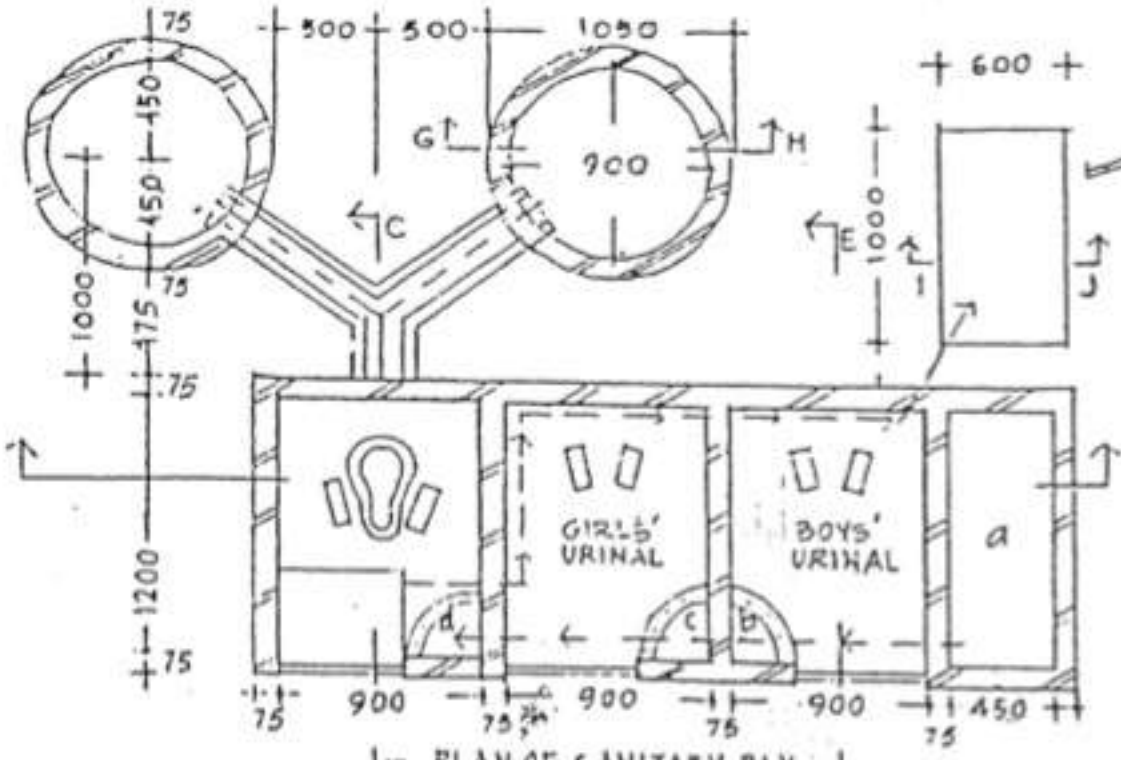

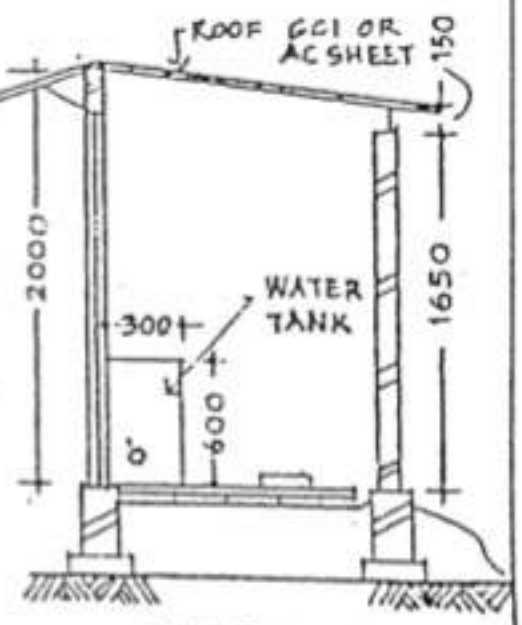

a: COVERED WATER TANK
b,c,d,: SMALL OPEN WATER TANK INSIDE

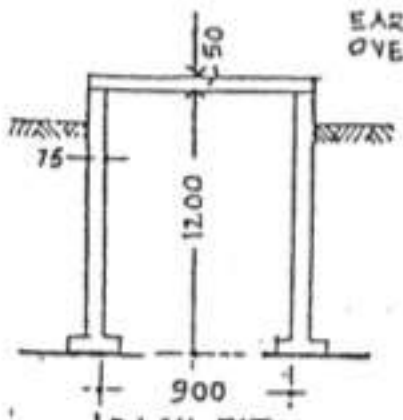

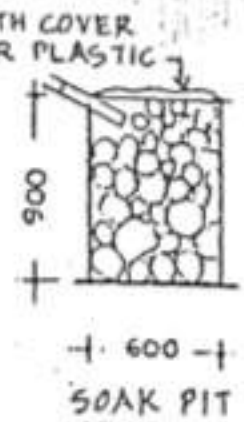

DETAILS OF A SANITARY BLOCK
• ALL DIMENSIONS IN MILLIMETRES.

DRAWING NO-2

माह -

(धनराशि लाख रु

प्रारूप संख्या-8

वर्ष 1999-2000 में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय मासिक प्रगति विवरण माह.................... जनपद..............................

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या व दिनांक जिसके द्वारा धन0 आवंटित की गई	आवंटित धनराशि	कॉलम 3 के सापेक्ष मात्राकरण				ग्राम का विवरण	कॉलम-3 के सापेक्ष मदवार आवंटित धनराशि का विवरण व्यक्तिगत शौचालय			
			सामान्य	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	योग		सामान्य	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1							अम्बेडकर ग्राम				
2							गांधी ग्राम				
3							आदर्श ग्राम				
4							अन्य ग्राम				
							योग				

कॉलम-3 के सापेक्ष मदवार आवंटित धनराशि का विवरण

महिला विलेज काम्पलेक्स				स्कूल शौचालय	आदर्श ग्राम में सम्पूर्ण स्वच्छता पैकेज	प्रचार प्रसार एवं प्रशिक्षण	ग्रामीण स्वच्छता सेवा/उत्पादन केन्द्र की स्थापना	प्रशासनिक व्यय	महा योग (12+16+17+18+19+20+21)
सामान्य	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	योग						
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

कमिक वित्तीय प्रगति विवरण

व्यक्तिगत शौचालय				महिला विशेष कम्पलेक्स				कुल शौचालय	आदर्श ग्राम में सम्पूर्ण स्वच्छता पैकेज	प्रचार प्रसार एवं प्रशिक्षण	ग्रामीण स्वच्छता रोना प्रशासनिक / उत्पादन केन्द्र की व्यय स्थापना	
सामान्य	अनु० जाति	अनु० जनजाति	योग	सामान्य	अनु० जाति	अनु० जनजाति	योग					
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35

महा योग (26+30+31+32+33+34+35)	कुल उपभोग धनराशि के सापेक्ष एससीपी (अनु०जाति)	कुल उपभोग धनराशि के सापेक्ष टीएसपी (अनु०जनजाति)
36	37	38

योग

जिला पंचायत राज अधिकारी
जनपद ——

माह———

प्रारूप संख्या–9

वर्ष 1999–2000 में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत भौतिक मासिक प्रगति विवरण माह.................. जनपद..........................

क्र0 सं0	ग्रामों का विवरण	1–4–2000 को संतृप्त ग्रामों की सं0	उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष भौतिक लक्ष्य: व्यक्तिगत शौचालय				महिला विशेष काम्पलेक्स				निर्मित कुल शौ0 की संख्या
			सामान्य	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	योग	सामान्य	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1 अम्बेडकर ग्राम
2 गांधी ग्राम
3 आदर्श ग्राम
4 अन्य ग्राम
योग

आदर्श ग्राम में सम्पूर्ण स्वच्छता पैकेज: नहाने के चबूतरे की संख्या	सोख्ता गड्डों की संख्या	खण्डजा नाली निर्माण (वर्गमी0 में)	कूड़ा–करकट गड्डों की संख्या	स्थापित ग्रामीण स्वच्छता शाला / उत्पादन केन्द्रों की संख्या	चयनित ग्रामों ग्रामों की संख्या	लाभार्थियों व अंशदान का प्रगति विवरण: लाभार्थियों का लक्ष्य	चयनित लाभार्थियों की संख्या	अनुदान जमा करने वाले लाभार्थियों की सं0	क्रमिक भौतिक उपलब्धि: व्यक्तिगत शौचालय: सामान्य	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

योग	महिला विलेज काम्पलेक्स				निर्मित स्कूल शौ0 की सं0	आदर्श ग्राम में सम्पूर्ण स्वच्छता पैकेज				प्रचार–प्रसार एवं प्रशिक्षण	
	सामान्य	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	योग		नहाने के चबूतरे की संख्या	सोखता गड्ढों की संख्या	खण्डजा नाली निर्माण (दर्गमी0 में)	कूड़ा–करकट गड्ढों की संख्या	चयनित स्वैच्छिक संस्था की संख्या	साइन बोर्ड / होल्डिंग
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	34	35

बास पेटिंग	प्रचार–प्रसार एवं प्रशिक्षण				स्थापित ग्रामीण स्वच्छता सेवा / उत्पादन केन्द्रों की संख्या	संतृप्त ग्रामों की संख्या	लाभान्वित जनसंख्या			
	फिल्म प्रदर्शन	प्रचार–प्रसार शिविर	प्रशिक्षित अधिकारी / कर्मचारी	प्रशिक्षित राजगीर			व्यक्तिगत शौ0	महिला काम्प0	स्कूल शौ0	आदर्श ग्रामों में सम्पूर्ण स्वच्छता पैकेज के अन्तर्गत
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46

विभिन्न अधिकारियों के द्वारा किये गये निरीक्षण

सह0 वि0 अधि0 (पं0)	खण्ड वि0 अधिकारी	सह0जि0पं0रा0 अधि0 तकनीकी	जि0 पं0 राज अधि0
47	48	49	50

जिला पंचायत राज अधिकारी
जनपद ——